संख्या-134/2016/2407/22-2-2016-17(405)/2009

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 07 मार्च, 2017***

विषय:- जिला कारागार, फैजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भोलानाथ पाठक पुत्र श्री राम बक्श पाठक, निवासी-जनपद-फैजाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-42941/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक 28.10.2016, दिनांक 02.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, फैजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भोलानाथ पाठक पुत्र श्री राम बक्श पाठक, निवासी ग्राम-सोनवर्षा, थाना-इनायत नगर, जिला-फैजाबाद का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 23.05.98 को 02 सहअभियुक्त के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-428/1998 में भा0द0वि0 की धारा- 304बी, 498ए एवं 3/4 डी.पी. एक्ट के अन्तर्गत मा0 अष्टम सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद द्वारा दिनांक 03-03-2003 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के 02 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे हैं। बन्दी द्वारा दिनांक 12.10.2016 तक 10 वर्ष 07 माह 29 दिन की अपरिहार एवं 13 वर्ष 11 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 27.06.2016 को जिला कारागार, फैजाबाद में बैठक सम्पन्न हुई जिसके द्वारा बन्दी के भविष्य में पुन- अपराध करने, बन्दी के अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने एवं बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी की रिहाई हेतु उपयुक्त् न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी भोलानाथ पाठक (बन्दी संख्या-7339/2015) पुत्र श्री राम बक्श पाठक, निवासी-जनपद-फैजाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-134/2016/2407/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, फैजाबाद।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in